न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 297/2017

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

बनाम

1. भगत सिंह पुत्र सुजान सिंह जाति– जाट, निवासी मकान न0 38 शर्मा कॉलोनी, बाईस गोदाम के पास जयपुर।

2. श्मशेर सिंह पुत्र पी0 आर0 मलिक, जाति जाट निवासी मकान न0 38 शर्मा कॉलोनी, बाईस गोदाम के पास, जयपुर।

3. बद्री पुत्र स्व0 श्री गौरू, जाति मीणा, निवासी ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. जगदीश पुत्र स्व. लादू मीणा, जाति– मीणा, निवासी ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री एन.के. पारीक अपीलांट की ओर से।

2– श्री राकेश कुमार पारीक रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–23–12–2017

1– यह अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर अन्तर्गत वाद सं. 47/2013 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नं0 1 ता0 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जाकर साबिक आराजी खसरा नम्बर 23 व 24 के बने हाल खसरा नम्बर 186 का रकबा 0.14 हैक्टै0, खसरा नम्बर 187/642 रकबा 0.06 हैक्टै0, खसरा नम्बर 187/661 रकबा 0.10 हैक्टै0 खसरा नम्बर 188/643 रकबा 0.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 188/660 रकबा 0.06 हैक्टै0, खसरा नम्बर 189/644 रकबा 0.03 हैक्टै0, खसरा 189/659 0.04 हैक्टै0, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 196/672 रकबा 0.04 हैक्टै0 कुल किता 9 रकबा 1.0200 हैक्टै0 ग्राम कचेरावाला उर्फ चोखल्यावास, पटवार हल्का नांगल सुसवतान, जिला जयपुर का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एव इन्द्राज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दुरूस्ती किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक खसरा नम्बर 24 के संबंध में वादीगण का वाद खारिज किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 23 जिसके हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.14 हैक्टै0 खसरा नम्बरा 187/642 0.06 हैक्टै0, खसरा नम्बर 189/644 रकबा 0.03 हैक्टै0, खसरा नम्बर 189/659 रकबा 0.04 हैक्टै0, खसरा नम्बर 188/660 रकबा 0.06 हैक्टै0, खसरा नम्बर 187/661 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 196/672 रकबा 0.04 हैक्टै0 खसरा नम्बर 188/643 रकबा 0.05 हैक्टै0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.48 हैक्टै0 कि खातेदारी के संबंध में रेस्पोडेंट न0 1 व 2 का विवादित आराजी के कोई अधिकार नहीं मानते हुए उनके विरूद्ध वाद डिक्री किया जाकर रेस्पोडेंट न.0 3 व 4 को ऊपर वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर वाद डिक्री किया गया जिससे पीडित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून व तथ्यों के खिलाफ है व निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा विवादित आराजियात को जागरीदार की जागीर होना मानते हुए जागीरदार द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट के पूर्वजों को काश्त हेतु दिये जाने का कथन वादपत्र में किया जाकर वादीगण/रेस्पोडेंट का निरन्तर कब्जा काश्त होना जाहिर किया गया है मगर रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने ऊपर वर्णित कथन को किसी भी रूप में साबित नहीं करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना अर्थ निकालकर रेस्पोडेंट सं0 3 व 4 के पक्ष में दावा डिक्री किये जाने में भूल की गई। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कोई सजरा खानदान प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि वादीगण के कौनसे पूर्वज को किस जागीरदार द्वारा काश्त हेतु बताई गई थी। उक्त तथ्यों के स्पष्ट नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट न0 3 व 4 के पूर्वजों का जागीर के समय से कब्जा काश्त मानकर वाद डिक्री किये जाने में भारी भूल की गई है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में यह भी कही स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौनसे रेस्पोडेंट/वादीगण के पूर्वज का किस खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त था। उक्त स्पष्टीकरण के अभाव में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट न0 3 व 4 के हक में डिक्री दिये जाने में तथ्यों की अनदेखी की गई है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित आराजीयात का लगान सरकार को अदा किये जाने का कथन किया है, मगर रेस्पोडेंट द्वारा लगान अदा किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी व धारा 79 जे0डी0ए0 एक्ट के अनुसार कोई नोटिस राजस्थान सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं दिया गया है जिसका दिया जाना आवश्यक था। ऐसे नोटिस के अभाव में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट स0 3 व 4 के हक में डिक्री दिये जाने में कानूनी भूल की है। अपील प्रस्तुत करने की मियाद नियमानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

18–01–2017 तक थी अपील को देरी से पेश करने के संबंध में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया गया है। अतः अपील स्पीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2016 को निरस्त फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादीगण द्वारा अपने पूर्वजों को जागीर के समय से वादग्रस्त भूमि के आवंटन का कथन किया गया है परन्तु इसके संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण संख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 का आपस में कोई संबंध नहीं है। सजरा खानदान वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सुण्डा को किस आधार पर पूर्वज माना गया है इस आधार का वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सिर्फ मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का पूर्वज माना गया है जो कि उचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेंट द्वारा धारा 5 का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही माना जावेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रान्त **DNJ. SC. 2010 page 174 , DNJ. SC. 2009 Page 846** प्रस्तुत किये गये है। अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त कथन करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2016 का है तथा अपीलान्ट द्वारा 10–11–2016 को नकल प्राप्त कर ली गई थी इसके बावजूद भी अपील जान–बूझकर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया कथन कि नकल गुम हो जाने से पुनः प्रस्तुत की गई हैं, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पुनः नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई स्पष्ट व पर्याप्त कारण नहीं दिये गये हैं इसलिए मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट् द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया गया कि खसरा नम्बर गिरदावरी सम्वत 2009 से प्रस्तुत की गई है तथा वादीगण के पूर्वज सुण्डा काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे हैं। वादीगण की खातेदारी का नामान्तरण दिनांक 02–09–1962 को ही स्वीकार किया जा चुका था परन्तु नामान्तरण का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अनुचित तौर पर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण व तहसीलदार द्वारा जवाब दिया गया है। तहसीलदार द्वारा वादीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा सहवन से नामान्तरण का अमल नही होना स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में जागीरदारी की थी तथा जागीर पुनर्ग्रहण होने के पश्चात् कब्जा काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण के पूर्वजों को खातेदारी मिली है। विरासत का नामान्तरण तस्दीक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकियात कायम की गई है तथा तनकीवार विस्तृत विवेचन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। भू–प्रबन्ध विभाग को रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में विधि संबंधी कोई त्रुटि नहीं है इसलिए अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट् द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रान्त RRT 2001 (1) 244 H.C., RRT 2004 (1) 96, RRT 2008 (1) 151, RRT 2011 (1) 237 page 174, RBJ 2006 page 719, RRD 1958 page 89(DB), RRD 1974 page 446, RRD 1959 page 173, RRD 1977 page 81 Para 14, RRD 1993 page 431, RBJ 2000 page 221 H.C., WLN 1970 page 548 (Raj.), RLR (2005) (3) 863 H.C., SCC (8) 1958 page 706 प्रस्तुत किये गये हैं।

7– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध दिनांक 01.05.2017 को प्रस्तुत की गई है जो कि विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट् द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर विलम्ब के कारणों को अंकित किया गया है। अपीलान्ट् द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न कार्यालयों में संबंधित पत्रावली के विचाराधीन रहने से विलम्ब होना अंकित किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सन्तोषजनक नहीं होना कथन किया गया है। उभय पक्ष द्वारा अपने कथनो के समर्थन में विभिन न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं। उभय पक्ष के कथनो पर मनन करने के उपरान्त तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009 डी.एन. जे. (सुप्रीम कोर्ट) 846 व 2010 डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) 174 में पारित सिद्धान्तों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलान्ट् का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गई है।

(1) आया ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास पटवार हल्का नांगल सुसावतान, तहसील आमेर के वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 187/642, 187/661, 188/643, 188/660, 189/644, 189/659, 193, 196/672 कुल किता 9 रकबा 1.0200 हैक्टै0 की खातेदार काश्तकार घोषित कराने का वादीगण अधिकारी है।

–जिम्मे–वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(2) आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे–वादी

(3) आया वाद पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या मनगढन्त व बनावटी तथ्य इस लिखे गये है अतः वाद मेनटीनेबल नहीं है। वादीगण का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है।

जिम्मे–प्रतिवादी

(4) आया वाद पत्र में वाद कारण विवाद मूल के तथ्य एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने से वाद खारिज योग्य है।

–जिम्मे–प्रतिवादी

(5) अनुतोष ?

उभय पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। वादी ने अपने पक्ष में श्री जगदीश पुत्र लादू, वादी भगतसिंह के मुख्तार आम मनोज पुत्र रामावतार बद्री पुत्र गोरू मीणा के बयान कराये तथा प्रतिवादी जे.डी.ए. ने श्रीमती शिप्रा शर्मा तहसीलदार जोन 13 जे.डी.ए. के बयान कराये। वादी ने अपने पक्ष में ग्राम कचेरावाला की जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069, भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2062, 2063, 2064 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015, 2019 से 2022, 2016 से 2019, 2035 से 2038, 2043 से 2046 ग्राम कचेरावाला के नामान्तरकरण संख्या 7 की छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी जे.डी.ए. के अभिभाषक ने डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न0 11153/2011 सूमोटो बनाम राजस्थान सरकार के निष्कर्षात्मक प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं पारित किये गये निष्कर्ष पर न्यायालय हाजा का मत निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1– उक्त तनकी का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया गया है कि "इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी ने इसे सिद्ध करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार साबिका खसरा नम्बर 23 से हाल खसरा नम्बर 186, 187/642, 189/644, 189/659, 188/660, 187/661, 196/672, 188/643 कुल किता 8 कुल रकबा 0.48 हैक्टै0 बने है। साबिका खसरा नम्बर 23 की खसरा गिरदावरी सम्वत 2012, 2013 में सुण्डा पुत्र छोटू मीणा के नाम दर्ज है सम्वत 2014 में गोरिया पुत्र सुण्डा का नाम दर्ज है सम्वत 2015 में गोरिया का नाम दर्ज है, सम्वत 2020 में किसन खसरा नम्बर 18 दर्ज है। खसरा नम्बर 22 में गोरया,, लादूया पिता सूण्डा दर्ज है। सम्वत 2019 में गोरू, लादू काल्या पिता सूण्डा हि0 2/3 श्री किसन पुत्र श्योबक्श हि0 1/3 दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 02.09.1962 में अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर 23 गोरू लादू पिता सूण्डा के नाम स्वीकार हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 में सूण्डा पुत्र छोटू, गोरू, लादू व कालू

पिता सूण्डा का नाम, सम्वत 2017 में गोरू, कालू, लादू पिता सूण्डा मीणा, सूण्डा पुत्र छोटू, गोरू लादू पिता सूण्डा नाम दर्ज है इस प्रकार सम्वत 2018, 2019 में उक्त नाम दर्ज हुए। सम्वत 2043 में खसरा नम्बर 23 सिवायचक लगानी दर्ज हुआ, भू–प्रबन्ध विभाग से जारी पत्रक में भूमि के संबंध में "वर्ष 1955 के अनुसार रिकॉर्ड की स्थिति के कॉलम 22 के दर्ज अनुसार 1955 के अभिलेखानुसार बहाव क्षेत्र नहीं है"। गवाहान ने उक्त भूमि वादी स0 3 व 4 की पैतृक भूमि होना बताया है। प्रतिवादी स0 1 जे.डी.ए. ने इस भूमि के वादीगण की पैतृक नहीं होने बाबत् कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है वर्तमान इन्द्राज के अनुसार जे.डी.ए. का माना है। तहसीलदार आमेर ने भी अपने जवाब में उक्त परिवर्तन अपने स्तर पर किया जाना, आज दिनांक तक वादी का कब्जा होना, विरासत का नामान्तरकरण का इन्द्राज सहवन से नहीं होने पर भूमि जे.डी.ए. के खाते में चले जाना बताया है। इस प्रकार गवाहान व प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार यह तनकी वादी स0 3 व 4 के पक्ष में सिद्ध होती है।" तनकी संख्या 1 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विवेचन व निष्कर्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार उचित प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी साबिका खसरा नम्बर 23 वादी संख्या 3 व 4 के पूर्वज सूण्डा पुत्र छोटू के कब्जा काश्त में सम्वत 2012 से रही है। नामान्तरण संख्या 7 दिनांक 02.09.1962 के अनुसार सुण्डा की विरासत के रूप में गोरू व लादू पुत्र सूण्डा के नाम स्वीकृत हुआ है। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि नामान्तर का सहवन से अमल नहीं होने के कारण उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हुई है तथा सिवायचक दर्ज होने से यह जे.डी.ए के खाते में गई है। तहसीलदार ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि जागीर की थी तथा कृषक सुण्डा पुत्र छोटू मीणा था तथा सूण्डा के स्वर्गवास के पश्चात् नामान्तरकरण उसके वारिसान वादी संख्या 3 व 4 के नाम स्वीकृत किया गया। तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आज भी कब्जा होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी संख्या 3 व 4 के पूर्वज सम्वत 2009 से काबिज काश्तकार रहे हैं तथा वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार इस तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है तथा यह तनकी वादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2– "आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वार इस तनकी पर किया गया विवेचन व निष्कर्ष है कि "इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द कराने का अधिकारी है। तनकी न0 1 वादी स0 3 व 4 के पक्ष में सिद्ध होने से यह तनकी स्वतः ही वादी स0 3 व 4 के पक्ष में सिद्ध हो जाती है।" तनकी संख्या 1 वादीगण संख्या 3 व 4 के पक्ष में सिद्ध हो जाने से वादीगण साबिका खसरा नम्बर 23 से बने हाल खसरा नम्बर 186, 187/642,

189/644, 189/659, 188/660, 187/661, 196/672, 188/643 कुल किता 8 कुल रकबा 0.48 हैक्टै0 के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से ही काबिज काश्तकार है। अतः वे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पर पारित किये गये निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है अतः यह तनकी वादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में सिद्ध की जाती है।

तनकी नम्बर 3– "आया पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या मनगढन्त व बनावटी तथ्य पर लिखे गये हैं अतः वाद मेनटीनेबल नहीं है। वादीगण का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है।" इस तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष है कि "इसे सिद्ध करने के का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे वादग्रस्त आराजी वादी संख्या 3 व 4 की सिद्ध नहीं होती है और वाद मिथ्या मनगढन्त व बनावटी तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण वर्तमान जमाबन्दी स्वयं के नाम होने से वादीगण को अतिक्रमी की हैसियत मानता है। साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध होती है।" तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष से यह साबित है कि वादीगण संख्या 3 व 4 साबिका खसरा नम्बर 23 के खातेदार काश्तकार हैं तथा वे वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत के काबिज नहीं होकर खातेदार की हैसियत से काबिज है अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है तथा इस पर पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी नम्बर 4– "आया वाद पत्र में वाद कारण विवाद मूल के तथ्य एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने से वाद खारिज योग्य है।" इस तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष इस प्रकार है कि "इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है प्रतिवादी संख्या 01 ने इसके संबंध में को सबूत पेश नहीं किये, नही कोई गवाह प्रस्तुत की जिससे सिद्ध होता है कि वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ अतः वह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर वास्तविकता की जानकारी होने बाबत् कथन वादीगण द्वारा वाद पत्र में किया गया है। वैसे भी वाद कारण वाद पत्र में वर्णित Bundle of fact होता है जो वाद पत्र के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होना पाया जाता है। इस प्रकार इस तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत् रखा जाता हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपर्युक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीवार निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथा विवेकपूर्ण विवेचन के उपरान्त पारित किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1959 आर.आर.डी. 173, आर.बी.जे. 2000 पृष्ठ 251 के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2000 पृष्ठ 251, एस.बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 2722/90 तथा एस.बी सिविल पीटीशन नम्बर 660/1989 में पारित सिद्धान्त कि "A person who is a cultivator at the time of commencement of Jagir Act and is in possession of the land automatically becomes the tenant of the land" इस प्रकरण पर बखूबी लागु होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया तनकीवार विवेचन व निष्कर्ष पूर्णतया विधि अनुरूप पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय के उपरान्त निष्कर्ष के रूप में अनुतोष प्रदान करते हुए वादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में वाद डिक्री किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 23 से बने हाल खसरा नम्बर कुल किता 8 कुल रकबा 0.48 हैक्टै0 का वादी संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री में तथ्य एवं विधि संबंधी कोई सारभूत त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से अपील अपीलान्ट् स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

8– अतः अपील अपीलान्ट् अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2016 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 23–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर